

कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
प्रार्थी सर्वश्री राजधानी इलेक्ट्रिकल्स, 1820, भागीरथ पैलेस, चॉटनी चौक, दिल्ली।
प्रार्थना पत्र संख्या व 055 / 11, 03.06.2011
दिनांक
प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री राजधानी इलेक्ट्रिकल्स, 1820, भागीरथ पैलेस, चॉटनी चौक, दिल्ली द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 03.06.2011 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा “ Decorative Thermosetting Synthetic Resin Bonded Laminated Sheets के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले base paper तथा absorbent craft paper ” पर प्रवेश कर की देयता के सम्बन्ध में स्थिति एवं दर स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को अन्तिम नोटिस दिनांक 10.10.2012 के लिए प्रेषित की गयी। किन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी दिल्ली राज्य के हैं तथा पंजीकृत या अपंजीकृत रूप से उत्तर प्रदेश में वाणिज्य कर विभाग के अभिलेख पर नहीं हैं। उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के अन्तर्गत “ person or dealer concerned ” in U.P.VAT Act ही प्रश्न पूछ सकता है। प्रार्थी “ person or dealer concerned ” नहीं है। अतः उनके द्वारा दिया गया प्रार्थना-पत्र उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत ग्राह्य नहीं होना चाहिए।

4. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि प्रार्थी दिल्ली राज्य के हैं। वह पंजीकृत या अपंजीकृत रूप से उत्तर प्रदेश में वाणिज्य कर विभाग के अभिलेख पर नहीं है। अतः “ person or dealer concerned ” in U.P.VAT Act न होने के कारण उनके द्वारा दिया गया धारा-59 का प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

5. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आईटी अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 12 मार्च, 2014

ह0 / 12.03.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)

कमिशनर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।